

श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन : U01100UP2016PTC082671

पंजीकृत कार्यालय: गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल बाईं ओर, प्रयागराज रोड, अवध विश्वविद्यालय के पास, फैजाबाद, अयोध्या-224001

Ph: +917991402222; ईमेल: Info@shwetdharamilk.com, वेबसाइट: www. Shwetdharamilk.com

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्यों की आठवीं वार्षिक आम सभा वर्ष 2023 के सितंबर माह की 21वीं तिथि को यमुना मिलन रिजॉर्ट जनौरा बाईपास, सर्विस रोड, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास, ओवर ब्रिज के सामने, अयोध्या-224001 में दोपहर 12:30 बजे निम्नलिखित कार्य करने के लिए की जाएगी :

1. 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए अवधि के बैलेंस शीट और कंपनी के लाभ और हानि खाते के साथ उपलब्ध और आवश्यक नोट, निदेशकों तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को प्राप्त करने, विचार करने एवं उसे अपनाने और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करने के लिए:

"यह संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुई अवधि के लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाते तथा कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसके अनुलग्नित नोट, शीड्यूल और निदेशकों और कंपनी के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को स्वीकार और अनुमोदित किया जाता है।"

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना: -

"संकल्प किया गया कि निदेशक 31 मार्च 2023, को समाप्त वर्ष के लिए प्राक्कलित मुनाफे से रुपए 7 प्रति इक्विटी शेयर की दर से 100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 259697 इक्विटी शेयरों पर लाभांश पूरी तरह से भुगतान और अवशोषित 18,17,879 राशि इसके द्वारा अनुमोदित है और पुष्टि की जाती है, इस राशि का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम 31 मार्च, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं।

3. श्रीमती सरिता देवी (डीआईएन 08553205) ("क्लास - बी" का प्रतिनिधित्व) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना:-

"यह संकल्प लिया कि श्रीमती सरिता देवी (डीआईएन 08553205) जो कंपनी के सदस्यों के " क्लास - बी" का प्रतिनिधित्व करते हुए इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, उन्हें अनुच्छेद 9.6 और अनुच्छेद के अन्य प्रासंगिक लेखों के संदर्भ में निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके

तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधान, यदि कोई हों (उस समय लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ), जिनके कार्यालय की अवधि सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी रोटेशन से।

4. श्रीमती ऊषा देवी (डीआईएन 08291474) ("क्लास - ए" का प्रतिनिधित्व) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और पुनः नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाएं:-

"यह संकल्प लिया कि श्रीमती ऊषा देवी (डीआईएन 08291474), जो कंपनी के सदस्यों के "क्लास - ए" का प्रतिनिधित्व करते हुए इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6 (iii) के संदर्भ में, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं और उनके स्थान पर श्रीमती सविता मौर्य (डीआईएन 10283941) कंपनी के सदस्यों के "क्लास-ए" का प्रतिनिधित्व करने वाली को कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6 और अन्य प्रासंगिक लेखों और लागू प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधान, यदि कोई हों (उस समय लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ), जिनके कार्यालय की अवधि सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी रोटेशन से।

5. श्रीमती मालती देवी (डीआईएन 10283946) (कंपनी में "क्लास-ए" का प्रतिनिधित्व करती हैं) निदेशक के रूप में नियुक्ति करना और इस सम्बन्ध में एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:-

"यह संकल्प लिया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XX1A के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती मालती देवी (डीआईएन 10283946) कंपनी के सदस्यों के "क्लास -ए" का प्रतिनिधित्व करने वाली को एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

6. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और अनुमोदन करना।

"यह संकल्प लिया गया है कि 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से पहले रखा गया था, को एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

7. संरक्षण के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के मानदंडों पर विचार करना और अनुमोदन करना

“संकल्प लिया गया है कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.4 के संदर्भ में और तारीख 23 जून, 2016 को कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्प संख्या 08/1ST एजीएम: 15.07.2016/2016-17 के स्थान पर, व्यवसाय में सदस्यों की भागीदारी (यानी संरक्षण) के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड नीचे दिए गए हैं:

क्रम	मानदंड	श्रेणी - A	श्रेणी - B	श्रेणी - C
1	एक वर्ष में एमपीसी को आपूर्ति किए गए दूध के दिनों की संख्या	>= 300 दिन	>=270 दिन	>=200 दिन
2	एमपीसी को आपूर्ति की जाने वाली वार्षिक दूध की मात्रा (लीटर में)	>=6000	>=2500	>=500
3	एक वित्तीय वर्ष के दौरान फलश महीनों (अर्थात् नवंबर से फरवरी) के दौरान आपूर्ति की गई दूध की मात्रा और लीन महीनों (अर्थात् अप्रैल से जुलाई) के दौरान आपूर्ति की गई दूध की मात्रा;	3 से अधिक नहीं	3 से अधिक नहीं	3 से अधिक नहीं
4	सब्सक्राइब किए गए एमपीसी शेयरों की न्यूनतम संख्या (शेयर पूंजी की राशि)	60 शेयर (Rs 6000/-)	25 शेयर (Rs 2500 /-)	5 शेयर (Rs 500/-)

ए) वर्ग के वर्गीकरण पर पहुंचने के उद्देश्य से वास्तविक शेयर योगदान या आपूर्ति की गई दूध की वास्तविक मात्रा, जो भी कम हो, पर विचार किया जाएगा।

बी) संरक्षण गणना के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:

i) जिन सदस्यों को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भर्ती किया गया है और जिन्होंने अभी तक अपनी सदस्यता के 365 दिन पूरे नहीं किए हैं, लेकिन क्लास ए, क्लास बी या क्लास सी के लिए न्यूनतम आवश्यक शेयर पूंजी की सदस्यता ली है, उन्हें उस वर्ग से संबंधित माना जाएगा।

ii) कोई भी सदस्य जो क्लास ए या क्लास बी के तहत मानदंडों को पूरा नहीं करेगा, वह उचित निम्न वर्ग में जा सकता है जिसके लिए सदस्य मानदंडों को पूरा करता है। हालाँकि, वे उस वर्ष के लिए निदेशक मंडल के पद के लिए चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे।

iii. जो सदस्य कम से कम 'क्लास सी' बनाए रखने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 8 के साथ पढ़े गए आर्टिकल 4.3 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यता रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। हालाँकि, यदि बोर्ड उन्हें अपनी सदस्यता जारी रखने की अनुमति देता है, तो ऐसे सदस्यों को बिना किसी वर्ग के सदस्य माना जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

एसडी/-

लखविंदर सिंह

मुख्य कार्यकारी और निदेशक

स्थान: अयोध्या

दिनांक: 18.08.2022

नोट्स

1. वार्षिक आम सभा में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्य एक प्रॉक्सी को हाथ दिखाने के साथ-साथ और एक प्रॉक्सी सदस्य के मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने का हकदार है। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त करने वाला लिखित विधिवत पूर्ण, मुहरबंद और हस्ताक्षरित होना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म यहां संलग्न है।
2. सदस्यों/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि आम सभा में भाग लेने के लिए विधिवत भरे हुए उपस्थिति पर्ची साथ लेकर आवें।
3. संबंधित सूचना में संदर्भित दस्तावेज, सामान्य व्यावसायिक घंटों (11:00 से 16:00 बजे) के दौरान, शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
4. खाते या कंपनी के संचालन के विषय में जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य से अनुरोध किया जाता है कि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले क्वेरी अग्रेषित करें।
5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने फोलिओ नंबर और सदस्य कोड को उनके सभी पत्राचार में उद्धृत करें।
6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी को अपने पते और बैंक खाता विवरण में यदि कोई परिवर्तन हो तो तत्काल सूचित करें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(c) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के सम्बन्ध में योग्यता का विवरण

नाम	व्यवसाय	योग्यता
श्रीमती सरिता देवी	पशुपालन	बी.ए.
श्रीमती सविता मौर्य	पशुपालन	बी.ए.
श्रीमती मालती देवी	पशुपालन	12 th

निदेशक मंडल के आदेश से

एसडी/-

लखविंदर सिंह

मुख्य कार्यकारी और निदेशक

स्थान: अयोध्या

दिनांक: 18.08.2022

व्याख्यात्मक विवरण

कार्यसूची संख्या 04

श्रीमती सविता मौर्य को कंपनी के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एजीएम की तारीख से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

बोर्ड का यह विचार है कि निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड पर श्रीमती सविता मौर्य की नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए लाभकारी होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए कहा जाता है और संकल्प नंबर 4 द्वारा सिफारिश करता है

कंपनी का कोई भी निदेशक / अधिकारी या उनके रिश्तेदार, श्रीमती सविता मौर्य, खुद को छोड़कर, और कोई भी इस किसी भी तरह से, संकल्प में हितबद्ध या संबद्ध नहीं हैं। बोर्ड इस संकल्प के साधारण संकल्प के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

कार्यसूची संख्या. 05

श्रीमती मालती देवी को कंपनी के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एजीएम की तारीख से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

बोर्ड का यह विचार है कि निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड पर श्रीमती मालती देवी की नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए लाभकारी होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए कहा जाता है और संकल्प नंबर 5 द्वारा सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक / अधिकारी या उनके रिश्तेदार, श्रीमती मालती देवी, खुद को छोड़कर और कोई भी इस किसी भी तरह से संकल्प में हितबद्ध या सम्बन्ध नहीं हैं। बोर्ड इस संकल्प के साधारण संकल्प के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: अयोध्या
दिनांक: 18.08.2022

एसडी/-
लखविंदर सिंह
मुख्य कार्यकारी और निदेशक